केदार देवी बनाम इन्द्र कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

दावा मुक. – 39/2025

1[illegible].08.2025

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय द्वारा जारी प्रारंभिक डिक्री की पालना में विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 2215 / भू0अ0 / 2025 दिनाक 24.07.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय / आदेश अन्तिम डिक्री पत्रावली दिनांक 22.08.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

24.09.2025

दिनांक 22.08.2025 को अभिभाषक संघ श्रीमाधोपुर द्वारा हडताल पर जाने एंव समस्त न्यायालयों में कार्य स्थगन किये जाने के कारण पत्रावली में इकजाई तारीख पेशी नियत करने पर पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में अन्तिम निर्णय हेतु बहस सुने दो माह से भी अधिक का समय हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में वादपत्र में अन्तिम निर्णय किये जाने हेतु वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पुनः सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए वादपत्र में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी [illegible] निर्णय / आदेश अन्तिम डिक्री पत्रावली दिनांक 25.[illegible]2025 [illegible] पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

25.09.2025

पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश अन्तिम डिक्री हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत तकासमा एव स्थायी निषेधाज्ञा

रीख	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	न्यायहित मे स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तदनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हो। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	(अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
39 / 2025	2025 / 099	17.03.2025	25.09.2025 (अंतिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1–केशर देवी पत्नी राधेश्याम जाति माली आयु 55 साल निवासी श्याम विहार ग्राम मान्यावारा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान हाल निवासी ग्राम जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––वादीया––

बनाम्

1–ईन्द्र कुमार पुत्र हणमान आयु साल

2–केसरी पत्नी हणमान आयु साल

3–चौथमल उर्फ विजय पुत्र हणमान आयु साल

4–प्रहलाद पुत्र हणमान आयु साल

5–मेवाराम पुत्र हणमान आयु साल

6–शिम्भूदयाल पुत्र हणमान आयु साल

7–हेमपाल पुत्र हणमान आयु साल

जाति गुर्जर निवासी जलालपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

8–भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

9–मैनेजर बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महरोली।

––प्रतिवादीगण––

उपस्थितः–

श्री धूड़ सिंह रूलानियां, एडवोकेट वादिया अभिभाषक।
श्री जालिम सिंह, एडवोकेट प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसील श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादपत्र बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

-:: निर्णय ::-

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 538, 541, 543, 544, 550 कुल किता–5 कुल रकबा 5.3900 हैक्टर तन गाम जलालपुर पटवार हल्का शिमारला जागीर भू–अभिलेख निरीक्षक महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है जिसमें वादिया हिस्सा 1/2 की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं बाकी हिस्सा की खातेदारी भू–अभिलेख जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार प्रतिवादी संख्या–1 ता 7 के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी वादिया व प्रतिवादी संख्या–1 ता 7 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज है जिसका मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है। वादिया अपनी हक हिस्सा व खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि हिस्सा 1/2 पर मौके पर भूमि खसरा नम्बर 538 रकबा 3.0500 हैक्टर में से रकबा 2.6950 हैक्टर दर्शित संलग्न नजरी नक्शा लालस्याही पर अलग से काबिज काश्त चली आ रही है एवं अलग से सींव डोल कायम की हुयी है। इसलिए वादिया मौके के बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त व हक हिस्सा खातेदारी अनुसार भूमियों का विधिक विभाजन करवाकर अपनी उपरोक्त भूमि की खातेदारी राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस मे अलग से मिन/बट्टा नम्बर डलवाकर अलग से दर्ज करवाकर अलग से लगान कायम करवाने की अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को वादिया की हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत करने व [illegible] से करवाने का कोई अधिकार किसी किश्म का [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने [illegible] ने प्रतिवादीगण को भूमियो का मौके के बाहमी बंटवारा व हक हिस्सा खा[illegible] अनुसार उपरोक्तानुसार विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

विभाजन करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे है परन्तु दिनांक 20-02-2025 को इन्कार हो गये एवं वादिया के कब्जे काश्त में मजाहमत करने की धमकी दी है। इसलिए माननीय अदालत में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादीया ने वादपत्र पेश कर विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया है कि तन ग्राम जलालपुर पटवार हल्का शिमारला जागीर भू-अभिलेख निरीक्षक महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 538, 541, 543, 544, 550 कुल किता-5 कुल रक्बा 5.3900 हैक्टर का पक्षकारान वादिया व प्रतिवादी संख्या-1 ता 7 के मध्य मौके के बाहमी बंटवारा एवं कब्जा काश्त व हक हिस्सा खातेदारी अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर वादिया को उसकी हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 538 रक्बा 3.0500 हैक्टर में से रक्बा 2.6950 हैक्टर दर्शित संलग्न नजरी नक्शा लालस्याही का राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग से मिन/बट्टा नम्बर डालकर अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या-1 ता 7 का नाम उक्त भूमि से हजफ किये जाने एवं शेष भूमि खसरा नम्बरान की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या-1 ता 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में उनके हिस्सा में आनुपातिक वृद्वि करते हुये दर्ज की जानें एवं वादिया का नाम हजफ किया जाने एवं संबंधित पक्षकार के बैंक का रहन संबंधित पक्षकार के हक हिस्सा की भूमि पर दर्ज किया जाकर दुरूस्त किये जाने तथा प्रतिवादीगण को वादिया की हक हिस्सा, खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि में मजाहमत नहीं करने बाबत जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाये जानें का निवेदन वकील वादीया द्वारा अपने वादपत्र में किया है। दावा वादीया बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवारा चाहने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादीया के वादपत्र [illegible] रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब कि[illegible] गया। प्रतिवादीगण संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

लगायत 7 की ओर से श्री जालिम सिंह एड0 उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश किया एव प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रकरण मे प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा इकबालिया जवाब दावा व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के द्वारा वादीया के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीया के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिये जाने तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 8 व 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वकील वादीया ने प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर वादपत्र में दिनांक 17.06.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक 2343/रीडर/2025 दिनांक 02.07.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मौके पर बनाये गये विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर जरिये पत्रांक 2255/भू.अ./2025 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा इस न्यायालय को भिजवाये गये है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए वकील वादीया ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादपत्र में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीया अभिभाषक व वकील प्रतिवादीगण की बहस पर समौर मनन किया। पत्रावली [illegible] ों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम बोराला आधार जमाबंदी [illegible] नक्शा एव जमाबन्दी अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible] 550 कुल किता–5 कुल रकबा 5.3900 हैक्टर का पक्षकारान वादिया व प्रतिवादीगण [illegible]ख्या–1 ता 7 के मध्य मौके के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हकशफी बंटवारा एवं कब्जा काश्त व हक हिस्सा खातेदारी अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर वादिया को उसकी हक हिस्सा खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 538 रकबा 3.0800 हैक्टर में से रकबा 2.6950 हैक्टर दर्शित संलग्न नजरी नक्शा लाल स्याही का राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शा ट्रेस में अलग से मिन/बटा नम्बर डालकर अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने तथा प्रतिवादीगण संख्या-1 लगायत 7 का नाम उक्त भूमि से हजफ किये जाने एवं शेष भूमि खसरा नम्बरान की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या-1 लगायत 7 के नाम राजस्व रिकार्ड में उनके हिस्सा में आनुपातिक वृद्धि करते हुये दर्ज किये जाने एवं वादीया का नाम हजफ किये जाने एवं संबंधित पक्षकारान के बैंक का रहन संबंधित पक्षकारान् के हक हिस्सा की भूमि पर दर्ज किया जाकर दुरुस्त किये जाने हेतु दावा के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने बाबत वकील वादीया व वकील प्रतिवादीगण ने सहमति व्यक्त की है। वकील वादीया व वकील प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वादीया एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार मौके पर चले आ रहे कब्जा काश्त अनुसार पक्षकारान् वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के मध्य उनके राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विधिक विभाजन करवाया जाकर वादीया व प्रतिवादीगण को उसकी हक हिस्सा एवं खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किये जाने तथा प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर वाद पत्र को स्वीकार किये जाने पर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। इस आधार पर वादीया व प्रतिवादी पक्षकारान् काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बंटवारा का हकदार है। प्रस्तुत राजीनामा व इकबालिया जवाब दावा, बयान व दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा- 53 रा[illegible] 1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी [illegible] से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 ने अपनी सहमती प्रकट की है। अतः वादीया व प्रति[illegible]वादीगण संख्या 1 लगायत 7 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीया व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के प्रारंभिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

क्रियात्मक आदेश :-

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 24.07.2025 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:-

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति :-

क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेगों)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. ईन्द्रकुमार पुत्र हणमान हि.1/14 जाति गूर्जर सा. देह खातेदार	538	3.0500	बंजड़ 2	0.40
				बारानी 3	3.22
	2. केशरदेवी पत्नि राधेश्याम जाति माली हिस्सा 1/2, सा. नि.	541	1.9100	बजंड़ 2	0.40
	श्याम विहार, ग्राम मान्यावास			बारानी 3	1.44
	तहसील सांगानेर जिला जयपुर	[illegible]	[illegible]	बजंड़ 2	0.08

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खातेदार	544		0.0200	बजंड़ 2	0.01
3. केशरी पत्नि हणमान जाति गूर्जर हिस्सा 1/14 पूर्ण खाता सा. देह खातेदार	550		0.2000	बजंड़ 2 बारानी 3	0.04 0.16
4. चौथमल उर्फ विजय पुत्र हणमान हिस्सा 1/14 जाति गूर्जर सा. देह					
5. प्रहलाद पुत्र हणमान हिस्सा 1/14, जाति गूर्जर सा. देह खातेदार					
6. मेवाराम पुत्र हणमान हिस्सा 1/14, जाति गूर्जर सा. देह खातेदार					
7. शिम्भूदयाल पुत्र हणमान हिस्सा 1/14, जाति गूर्जर, सा. देह खातेदार					
8. हेमपाल पुत्र हणमान [illegible] 1/14, जाति [illegible] देह खातेदार					
योग खाता		किता – 5	5.3900	—	5.75

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव –

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. केशरदेवी पत्नि राधेश्याम जाति माली हिस्सा 1/2, सा. नि. श्याम विहार, ग्राम मान्यावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर खातेदार	538/1	2.6950	बंजड़ 2 बारानी 3	
	2. ईन्द्रकुमार, चौथमल उर्फ विजय, प्रहलाद, मेवाराम, शिम्भूदयाल, हेमपाल पुत्रगण हणमान, केसरी पत्नि हणमान जाति गूर्जर सा. देह खातेदार	538/2 541 543 544 550	0.3550 1.91 0.21 0.02 0.20	बजंड़ 2 बारानी 3 बजंड़ 2 बारानी 3 बजंड़ 2 बजंड़ 2 बजंड़ 2 बारानी 3	
	योग खाता	कित[illegible] 5	2.6950	बारानी–3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2255/भू.अ./2025 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुरेंजात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.10.15 12:30:55 IST
Reason: SelfAttested